

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii) PART II — Section 3 — Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 200] No. 2001 नर्ड दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 2004/फाल्गुन 6, 1925

NEW DELHI, WEDNESDAY, KEBRUARY 25, 2004/PHALGUNA 6, 1925

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2004

का.आ. 238( अ ).—सिगरेट और अन्य तम्बाकृ उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और ध्यापार तथा वाणिष्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त राक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदृद्वारा 1 मई, 2004 को उस तिथि के रूप में निर्धारित करती है जिस तिथि को उक्त अधिनियम की धारा 1, 2, 3, 4, 5, 6(क), 12(1)(ख), 12(2), 13(1)(图), 13(2), 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तथा 31 के उपबंध लागू होंगे।

> [फा. सं. पी-16011/2/2003-पीएच] भवानी त्यागराजन, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

# (Department of Health) NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2004

S.O. 238(E) .- In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003), the Central Government hereby appoints 1st day of May, 2004 as the date on which the provisions of Sections 1, 2, 3, 4, 5, 6(a), 12(1)(b), 12(2), 13(1)(b), 13(2), 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 31 of the said Act shall come into force.

> IF. No. P-16011/2/2003-PHI BHAVANI THYAGARAJAN, It. Secy.



EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ti. 1424] No. 1424] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 16, 2007/कार्तिक 25, 1929 NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 16, 2007/KARTIKA 25, 1929

#### स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

### अधिसुचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2007

का,आ. 1955(अ).—सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाण्ड्यि, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 1 दिसम्बर, 2007 को उस तिथि के रूप में निर्धारित करती है जिस तिथि को उक्त अधिनियम की धारा 7(क), (ख) (ग) (घ), 8, 9, 10 तथा 20 के उपबंध लागू होंगे।

[फा. सं. पी~16011/07/2005-पी एच] भवानी त्यागाराजन, संयुक्त सचिव

#### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2007.

S.O. 1955(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003), the Central Government hereby appoints 1st day of December, 2007 as the date on which the provisions of Section 7(1) (2) (3) (4), 8, 9, 10 and 20 of the said Act shall come into force.

[F. No. P-16011/07/2005-PH]

BHAVANI THYAGARAJAN, Jt. Secy.